संख्या:94/2020/2442 ई-2/तेरह-2019-74/2016

प्रेषक,

अनिल कुमार
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 4 दिसम्बर, 2020

विषय: मेसर्स आरती डिस्टिलरीज प्रा.लि., ग्राम चिरौरा, तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात में 125 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की ग्रेन अल्कोहल एवं 25 कि.ली. प्रतिदिन क्षमता की माल्ट स्प्रिट पर आधारित आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-51/दो-प्रा.डी.-217/आरती, दिनांक 27.10.2020 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 23.11.2020 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2608 ई-2/तेरह-2020-74/2016, दिनांक 27.11.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मेसर्स राजस्थान लिकर्स लि., कानपुर देहात को ग्रेन/माल्ट पर आधारित आसवनी स्थापना हेतु स्वीकृत पी.डी.-33 अनुज्ञापन को निरस्त करते हुए मेसर्स आरती डिस्टिलरीज प्रा.लि., ग्राम चिरौरा, तहसील अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात को 125 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 437.50 लाख लीटर ग्रेन अल्कोहल एवं 25 कि.ली. प्रतिदिन अर्थात वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 87.50 लाख लीटर माल्ट स्प्रिट अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर सम्पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता 525 लाख लीटर ग्रेन/माल्ट स्प्रिट उत्पादन किये जाने एवं सम्पूर्ण अधिष्ठापित क्षमता का 90 प्रतिशत पेय क्षमता निर्धारित करते हुए आसवनी स्थापित किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवक द्वारा प्रस्तावित क्षमता हेतु भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से यथावश्यक पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र और उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और सहायक नियमों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये केन्द्र/राज्य के अन्य संगत प्राविधानों/नियमों/विधियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in